

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया एवं कार्यक्रम

मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 2002 की धारा 45 एवं तत्सम्बन्धी मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स, 2002 के नियम 20 एवं अनुलग्न अनुसूची की कंडिका-7 एवं बिस्कोमान की निबंधित उपविधियाँ की उपविधि संख्या-27 (vii) के आलोक में निर्वाचित निदेशक मंडल के सदस्यों के बीच से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाना है। जिसके लिए निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किये गये हैं।

1. नामांकन - अपराहन 12:15 बजे से 12:30 बजे अपराहन तक
2. नामांकन पर आपत्ति एवं आपत्तियों का निष्पादन- अपराहन 12:35 बजे से 12:40 अपराहन
3. नामांकन वापसी - 12:45 बजे से 1:00 बजे तक
4. मतदान - अपराहन 1:00 बजे से 1:15 अपराहन तक
5. गिनती एवं परिणाम की घोषणा - 1:20 बजे से समाप्ति तक


निर्वाचन पदाधिकारी
बिस्कोमान
P.N. Singh
(बिहार एवं झारखण्ड)
District & Session Judge
-cum-
Returning Officer.
BISCOMAUN (Bihar & Jharkhand)
6th Floor, Biscomaun Tower, Patna.